

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(6)नविवि/फलौदी/2024-08216

जयपुर,दिनांक:यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 7 के अंतर्गत अनुमोदित फलौदी मास्टर प्लान-2023 की बढ़ाई गई समयावधि दिनांक 31.12.2026 को राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 31.12.2031 तक अथवा नवीन मास्टर प्लान प्रारूप प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.1999 के द्वारा अधिसूचित फलौदी नगरीय क्षेत्र के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, फलौदी।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, फलौदी।
10. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम